

उपसचिव अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेडा जिला भोलवाडा (राज0)
 अधिकारी - सेवा पूर्वक आर ए एस
 नम्बर 483 / 2025 प्रार्थनापत्र
 श्री विमल पुत्र चौहानवाल मलानन आयु वमरक विवाही - चौहानो की कमीशे तहसील करेडा जिला भोलवाडा (राज0) प्राणी

नाम
 राजस्थान राज्य जसिगे तहसीलदार साहब, करेडा जिला भोलवाडा (राज0) विपक्षी


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

त - अधिवक्ता प्राणी
 उपस्थित
 दिनांक- 01/02/2026

निर्णय

प्राणी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध एक आनेदनापत्र अन्तर्गत धारा- 251-ए राज0 दिनेशी एक्ट के प्रस्तुत कर सरहद चौहानो की कमीशे पटवार हल्का उमरी भू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील जिला भोलवाडा (राज0) में प्राणी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजिमात के खाता संख्या के आराजी नम्बर 1200 कुल कित्ता 01 रकवा 0.0759 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्राणी के नाम पर है। हक अधिकार से दजे होकर प्राणी का कब्जा एवं उपयोग समाप्त नला जा रहा है। प्राणी की आराजी में आने जाने का एकमात्र शरता जो कि जो कि शरकाशे शरता आराजी नम्बर 1182 एवं आराजी नम्बर 1187 से होकर विलानाम सरकार के आराजी नम्बर 1205 रकवा 0.1644 हैक्टयर से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 1200 कुल कित्ता 01 रकवा 0.0759 हैक्टयर में आता जाता है। जिसमें से 30 फीट चौड़ाई का शरते को राजस्व रिपोर्ट में दर्जे करवा जाने के प्राणी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीवद किया गया व विपक्षी को सामन नोटिस तामिल होने के त प्रकरण में मौके का निरीक्षण कर प्राणी की आराजिमात पर प्रस्तावित शरता है अथवा नहीं या वैकल्पिक भी उपलब्ध है या नहीं, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेडा से मंगवाई जाने की आदेशनाम पारित की। प्राणी के अधिवक्ता की वहरस सुनी गयी। प्राणी के अधिवक्ता द्वारा आनेदनापत्र में वर्णित तथ्यों को प्राणी के अधिवक्ता, नवशा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौन निरीक्षण रिपोर्ट की जोर इस तथ्य का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित शरता के अतिरिक्त अन्य कोई शरता प्राणी को आराजिमात पर आने संज वैलगाडी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक शरता न होना रिपोर्ट से गत होता है। भू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्राणी के नाम पर सरहद नो की कमीशे पटवार हल्का उमरी भू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेडा जिला भोलवाडा में प्राणी यर भूमि में आने-जाने हेतु ग्राम चौहानों की कमीशे के आराजी नम्बर 1182 एवं आराजी नम्बर 1187 से आ से होकर विलानाम सरकार के आराजी नम्बर 1205 रकवा 0.1644 हैक्टयर रेगॉर्ड भूमि जो कि विलानाम उसमें शरता बना हुआ है जो कि प्राणी की खातेदारी भूमि से 68.62 मीटर दूर है। उक्त शरते आराजी नम्बर 5 व प्राणी की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1200 के मध्य ग्राम चौहानों की कमीशे की विलानाम सरकारी भूमि में आया आजी नम्बर 1205 रकवा 0.1644 हैक्टयर किस्म वंजड स्थित है जिसमें से होकर प्राणी की खातेदारी भूमि पर नहीं जा सकता है इसके अलावा आराजी नम्बर 1200 में जाने का कोई निकटतम विकल्प पास की भूमि पर नहीं प्राणी की खातेदारी भूमि (निकटतम आवेदित आराजी नम्बर 1200 पर जाने हेतु) ग्राम चौहानों की कमीशे की विलानाम आराजी नम्बर 1205 रकवा 0.1644 हैक्टयर किस्म वंजड में से 30फिट चौड़ाई(9.15मीटर चौड़ाई गुणा 7.01 मीटर लम्बाई कुल 68.62मीटर) में रकवा 0.0069 हैक्टयर भूमि पर शरता उचित है जो कि आराजी नम्बर 1200 पूर्वी मेड से लगता हुआ है।

मैंने प्राणी के अधिवक्ता की वहरस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, प्राणी की आराजी नम्बर 1200 रकवा 0.0759 हैक्टयर भूमि में आने-जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की विलानाम आराजी नम्बर 1205 रकवा 0.1644 हैक्टयर में से 30 फिट चौड़ाई(9.15मीटर चौड़ाई गुणा 7.50मीटर लम्बाई कुल 68.62मीटर) में


 उपसचिव अधिकारी पदेन
 सहायक कलेक्टर करेडा

0069 हैक्टयर भूमि के रूप में रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद चौहानों की कमेशी पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि के खाता 53 के आराजी नम्बर-1200 किता 01 रकवा 0.0759 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी सख्या 01 नम्बर 1205 रकवा 0.1644 हैक्टयर में से 30 फिट चौड़ाई (9.15मीटर चौड़ाई गुणा 7.50मीटर लम्बाई कुल (र) में रास्ते के रूप में काम आने वाला रकवा 0.0069 हैक्टयर भूमि रास्ता के रूप में कृषि कार्य हेतु आने रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा में मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार, करेड़ा को स निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0069 हैक्टयर रास्ते की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु राजकोष में जमा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेखा मर्जर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

आर.ए.एस. पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)